न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	13.05.2021	03.02..2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री भागचन्द पंचोली पुत्र श्री बजरंग लाल पंचोली निवासी गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स पंचोली किराणा स्टोर गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0
2– मैसर्स पंचोली किराणा स्टोर गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) (iv) (v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 03.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.12.2020 को समय 1.50 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पंचोली किराणा स्टोर गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0 पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री भागचन्द पंचोली पुत्र श्री बजरंग लाल पंचोली निवासी गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स पंचोली किराणा स्टोर गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया जो अवधिपार हो चुका था।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **तिल्ली का तेल (खुला)** रखा हुआ था का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री भागचन्द पंचोली को गवाह के सामने [illegible] 5ए मे वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त [illegible] भागचन्द पंचोली एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर नजदीक कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे स्टील की एक टंकी मे लगभग 7–8 किलोग्राम **तिल्ली का तेल (खुला)** रखे हुये मे से कुल 1600 ग्राम वेईग मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री भागचन्द पंचोली को रू0 384/–अक्षरे तीन सौ चौरासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **तिल्ली का तेल (खुला)** खरीदशुद्वा 1600 ग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे प्रत्येक मे 400–400 ग्राम भरकर प्लास्टिक की शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2761 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2761 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. भागचन्द पंचोली के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/156 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2539/एक्ट/2020/74 दिनांक 07.01.2021 अनुसार भागचन्द पंचोली से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **तिल्ली का तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एंव निर्बधन) नं0 2.3.14(15)(1) (b) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **कॉन्ट्रावेन (Contravene)व अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **तिल्ली का तेल (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) (iv) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **तिल्ली का तेल (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **तिल्ली का तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) (iv) (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री भागचन्द पंचोली पुत्र श्री बजरंग लाल पंचोली निवासी गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स पंचोली किराणा स्टोर गणेश बाजार खरेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

3.2.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested